



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

संसदीय विभाग

१८०९

सं. 335 ]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 19, 2001/अग्रहायण 28, 1923

No. 335]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 19, 2001/AGRAHAYANA 28, 1923

वस्त्र मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2001

फा. सं. 8/3/2001-टी पी सी.—केन्द्रीय सरकार आवश्यक वस्त्र अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और वस्त्र (विकास और विनियमन) आदेश, 1993 को अधिकांत करते हुए जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व उन बातों के सिवाय लोप किया गया है, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

### भाग 1

- संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ:-** (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम वस्त्र (विकास और विनियमन) आदेश, 2001 है।
- इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।
- ये राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

### 2. परिभाषा -

इस आदेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) “चिंदी” से वस्त्र के ऐसे कटे हुए टुकड़े अभिप्रेत हैं जिनकी लंबाई 23 सें. मी. या इससे कम है ;

(ख) “कपड़ा” से ऐसा कोई फैब्रिक अभिप्रेत है जो पूर्णतः या समान रूप से या मुख्य रूप से सूत, ऊन, रेशम, जूट, मानव निर्मित रेशे या सूत, किसी अन्य प्राकृतिक रेशे या सूत या इन सामग्रियों में से किसी के अपशिष्ट या उनके किसी समुच्चय (बलैंड) से बना हुआ है और उसके अंतर्गत व्यूतित गैर-व्यूतित, बुना हुआ और क्रोशिया से बुना हुआ फैब्रिक भी है।

(ग) “उपभोक्ता” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है किन्हीं वस्त्रों का क्रय करता है या उनको प्राप्त करता है जिसके अंतर्गत जो, अपने स्वयं के उपभोग या औद्योगिक उपभोग के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष क्रय भी हैं और ‘उपभोग’ पद का उसके व्याकारणिक रूप भेदों और सजातीय पदों सहित तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा।

(घ) “फैट” से कपड़े के ऐसे कटे हुए टुकड़े अभिप्रेत हैं जिनकी लंबाई 45 सें. मी. या उससे अधिक है किंतु 90 सें. मी. से अधिक नहीं है और जहां उसकी चौड़ाई एक मीटर या उससे अधिक है वहां उसकी लंबाई 65 सें. मी. या उससे अधिक है किंतु 135 सें. मी. से अधिक नहीं है और जहां उसकी चौड़ाई एक मीटर से कम है।

(ज) “रेशा” से अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत सूत, रेशम, ऊनी, जूट जैसे प्राकृतिक रेशे और विस्कोस, पोलिएस्टर, नाइलोन, जैसे मानवनिर्मित रेशे या इन सामग्रियों में से किसी का अपशिष्ट भी है।

(च) “प्रारूप” से इस आदेश के साथ संलग्न कोई प्रारूप अभिप्रेत है;

(छ) “आयात” से इसके व्याकारणिक रूप भेदों और सजातीय पदों सहित भारत से बाहर किसी स्थान से भारत में लाना अभिप्रेत है;

(ज) “आयातकर्ता” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो भारत में वस्त्रों का आयात करता है या आयात करने का आशय रखता है तथा इसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जो ऐसा आयात कराता है;

(छ) “तैयार किए गए वस्त्रों” से गारमेन्ट से भिन्न किसी प्रकार के कपड़े से विनिर्मित और/या सिली हुई कोई वस्तु अभिप्रेत है;

(झ) “विनिर्माता” से विद्युत की सहायता से या उसके बिना वस्त्रों का कोई उत्पादक या प्रसंस्करणकर्ता अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जो वस्त्रों का विनिर्माण कराता है और “विनिर्माता” पद का, उसके व्याकारणिक रूप भेदों और सजातीय पदों सहित तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(झ) “वस्त्र मशीनरी विनिर्माता” से किसी वस्त्र मशीनरी जिसके अंतर्गत उसके संघटक, पुर्जे और उपांग भी हैं, का विनिर्माता अभिप्रेत है।

(ट) “चिह्नांकन” से किसी वस्त्र के बारे में आवश्यक जानकारी जैसे उसकी क्यालिटी, मात्रा, संरचना, विभित्तियां, परंपरा, सुरक्षा पैरामीटर, विनिर्माण की तारीख तथा विनिर्माता की पहचान, स्टाम्प लगाकर, मुद्रण करके, व्यतन करके, संलग्न या चिपका हुआ टैग प्रदर्शित करके या अन्यथा प्रकट करना है।

(ठ) “व्यक्ति” के अंतर्गत निम्नलिखित हैं—

- (i) व्यक्तियों का कोई संगम या व्यस्ति निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं ;
- (ii) कोई कंपनी जैसी वह कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में परिभाषित है ;
- (iii) कोई हिंदू अविभक्त कुटुम्ब है ;
- (iv) कोई सहकारी सोसायटी ;
- (v) प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति जो पूर्ववर्ती मर्दों में से किसी के अंतर्गत नहीं आता है

( ढ) “प्रसंस्करणकर्ता” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो आधारभूत वस्त्रों जैसे फाइबर, टाप, सूत, कपड़े तैयार किए गए वस्त्रों और गारमेन्ट्स के प्रसंस्करण में सहायक प्रक्रियाओं जैसे बुनने, रेठने,

लहरदार बुनने, लपेटने, झूलसाने, विकुचन करने, आकार देने, चमकाने, दहकारित करने, श्वेत करने, रंगने छापने, बढ़ाने, कढ़ाई करने, कशीदाकारी करने, परिसज्जित करने में लगा हुआ है ।

(ग) “**विविदत्त कपड़े**” से कपड़े का ऐसा टुकड़ा अभिप्रेत है जिसका कूपरामोनियम द्रव्यता परीक्षण 10 रेज या उससे अधिक है और/या प्रसार्य बल दी गई गणना-संरचना के मानक कपड़े के प्रसार्य बल से 50 प्रतिशत कम है ;

(द) “**उत्पादक**” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो आधारभूत वस्त्रों जैसे फाइबर, टाप सूत, कपड़ा, तैयार किए गए वस्त्रों या गारमेंट का उत्पादन करता है या उत्पादन कराता है ;

(इ) “**वस्त्र**” से कोई वस्त्र उत्पाद अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत कोई फाइबर, टाप सूत, कपड़ा, तैयार किए गए वस्त्र और गारमेंट्स भी हैं ;

(ज) “**वस्त्र मशीनरी**” से ऐसी मशीन अभिप्रेत है जिसका उपयोग वस्त्रों के विनिर्माण के लिए किया जाता है और इसके अंतर्गत वस्त्रों के प्रसंस्करण के लिए अपेक्षित मशीन तथा उसके संघटक, पुरजे और उपांग भी हैं ;

(क) “**वस्त्र आयुक्त**” से केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त वस्त्र आयुक्त अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत वस्त्र आयुक्त के कार्यालय में केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त कोई अपर वस्त्र आयुक्त या संयुक्त वस्त्र आयुक्त भी हैं ;

(ल) “**टाप**” से ऊनी तागा कताई प्रणाली पर सूत के विनिर्माण के लिए प्रयुक्त पूनी के रूप में फाइबर का मध्यवर्ती उत्पाद अभिप्रेत है

(म) “**सूत**” से अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत किसी एक या अधिक किसी के फाइबर में से काता गया सूत, चाहे वह प्राकृतिक हो या मानवनिर्मित, फिलामेंट सूत, चाहे वह प्राकृतिक हो या मानवनिर्मित और धातुकृत सूत, चाहे वह प्राकृतिक हो या मानवनिर्मित ;

(ब) उन शब्दों और पदों के, जो इस आदेश में प्रयुक्त हैं किंतु परिभाषित नहीं हैं और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में क्रमशः उनके हैं ।

## भाग 2

### सूचना का दिया जाना

3. **लेखाबहियों, डाटा, अभिलेखों का रखा जाना और उनकी जानकारी देना** - वस्त्र, वस्त्र मशीनरी का प्रत्येक विनिर्माता और प्रत्येक व्यक्ति जो वस्त्रों में व्यापार कर रहा है, उत्पादन, प्रसंस्करण आयात, निर्यात, प्रदाय, वितरण, विक्रय, उपभोग आदि के विषय में अपने कारबार के संबंध में लेखा बहियों, डाटा और अन्य अभिलेखों को रखेगा तथा अपने कारबार के संबंध में, जब भी वस्त्र आयुक्त द्वारा निर्देशित किया जाए, ऐसे विवरणों और जानकारी को देगा ।

4. वस्त्र मशीनरी का लगाया जाना— प्रत्येक व्यक्ति, वस्त्र विनिर्माण के लिए वस्त्र मशीनरी लगाए जाने पर, वस्त्र आयुक्त, मुम्बई को, ऐसी मशीनरी लगाए जाने के तीस दिन के भीतर प्ररूप -1 -क में सूचना ज्ञापन फाइल करेगा :

परन्तु लघु सेक्टर में संस्थापित ऐसी मशीनरी के लगाए जाने की दशा में, ऐसे सूचना ज्ञापन की एक प्रति राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किसी अधिकारी को भी फाइल की जाएगी ।

5. स्थापित मशीनों को दूसरे स्थान पर लगाना, उनका विक्रय, अंतरण या व्ययन— ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो नियम 4 में निर्दिष्ट किसी वस्त्र मशीनरी को दूसरे स्थान पर लगाता है, उसका विक्रय, अंतरण या व्ययन करता है, यथास्थिति, ऐसे पुनरावस्थापन, विक्रय, अंतरण या व्ययन की तारीख से तीस दिन के भीतर, यथास्थिति, ऐसे पुनरावस्थापन, विक्रय, अंतरण या व्ययन के बारे में वस्त्र आयुक्त को प्ररूप 1-ख में एक सूचना ज्ञापन फाइल करेगा :

परन्तु लघु सेक्टर में किसी ऐसी वस्त्र मशीनरी के पुनरावस्थापन, विक्रय, अंतरण या व्ययन की दशा में, ऐसे सूचना ज्ञापन की एक प्रति राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किसी अधिकारी को भी फाइल की जाएगी ।

6. आधुनिकीकरण कार्यक्रम — ऐसा प्रत्येक वस्त्र निर्माता, जिसका अपने एकक को आधुनिकीकरण का कार्यक्रम है, ऐसे आधुनिकीकरण कार्यक्रम के संबंध में वस्त्र आयुक्त को ऐसी रीति में जो वस्त्र आयुक्त विनिर्दिष्ट करे, एक सूचना ज्ञापन फाइल करेगा ।

7. जानकारी देने का कर्तव्य— कोई भी व्यक्ति, इस आदेश के उपबंधों का अपवंचन करने के आशय से इस आदेश के अधीन या इस आदेश के अधीन बनाए गए किसी विनियम या जारी की गई अधिसूचना के अधीन उससे विधिपूर्ण रूप से अपेक्षित कोई जानकारी देने से इंकार नहीं करेगा या अपने कारबाह के अनुक्रम उसके द्वारा रखी गई किसी बही या अन्य दस्तावेज को नहीं छिपाएगा, नष्ट नहीं करेगा, विकृत या विरूपित नहीं करेगा ।

### भाग - 3

#### उत्पादन और प्रवाय

8. उत्पादन - (1) वस्त्र आयुक्त, सभय-समय पर, निम्नलिखित के संबंध में किसी विनिर्माता या विनिर्माताओं के किसी वर्ग या साधारण विनिर्माताओं को, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से अधिसूचना द्वारा निदेश जारी कर सकेगा ;

(क) किन्हीं वस्त्रों के वर्ग या विनिर्देश जिनका विनिर्माण किया जाएगा या नहीं किया जाएगा ;

(ख) वे रंग और रसायन जिनका किन्हीं वस्त्रों के विनिर्माण में उपयोग किया जाएगा या नहीं किया जाएगा ;

(ग) उन वस्त्रों की अधिकतम और न्यूनतम मात्रा जिनका विनिर्माण किया जाएगा ;

(घ) वह अधिकतम कारखाना द्वार या थोक विक्रय या खुदरा कीमत जिस पर कोई वस्त्र बेचा जाएगा :

परन्तु इस उपखंड के अधीन कोई भी निदेश राष्ट्रीय सुरक्षा, लोक व्यवस्था और सुरक्षा या पर्यावरण के संरक्षण और लोक स्वास्थ्य के हित में या लोक हित में ही जारी किए जाएंगे अन्यथा नहीं ।

(2) वस्त्र आयुक्त, समय-समय पर, सूत के किसी विनिर्माता, विनिर्माताओं के किसी वर्ग या आम विनिर्माताओं को सूत की लच्छियों, शंकुओं में या किसी अन्य रूप में पैक करने की रीति के संबंध में निदेश ऐसे अनुपात में और ऐसी समयावधि के लिए जो निदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, अधिसूचना द्वारा जारी कर सकेगा :

परन्तु वस्त्र आयुक्त, इस खंड के अधीन कोई निदेश जारी करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा :—

- (i) किसी उद्योग की ऐसे सूत की विशेष अपेक्षाएं ; और
- (ii) विनिर्माता, विनिर्माताओं के वर्ग या आम विनिर्माताओं की, विभिन्न प्रकार के या विनिर्देशों के सूत को विनिर्मित करने या पैक रकने की क्षमता ।

#### भाग - 4

#### वस्त्रों पर चिह्नांकन

9. वस्त्रों पर चिह्नांकन— (1) वस्त्र आयुक्त, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, अधिसूचना द्वारा, ऐसे वस्त्रों पर ऐसे वस्त्रों के विनिर्माता द्वारा किए जाने वाले चिह्नांकन और ऐसे चिह्नांकन करने का समय और रीति विनिर्दिष्ट कर सकेगा :

परन्तु आयातित वस्त्रों की दशा में, आयातकर्ता ऐसे वस्त्रों पर उनके आयात से पूर्व ऐसे चिह्नांकन कराएगा :

परन्तु यह और कि ऊपर कथित व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति किन्हीं वस्त्रों पर ऐसा चिह्नांकन नहीं कराएगा :

परन्तु यह भी कि विनिर्माता से भिन्न कोई व्यक्ति ऐसे किन्हीं वस्त्रों को जो इस प्रकार चिह्नांकित नहीं हैं, अपने कब्जे में या अपने नियंत्रणाधीन नहीं रखेगा ।

(ख) कोई भी व्यक्ति इस उपखंड की मद (क) के अधीन किन्हीं वस्त्रों पर किए गए चिह्नांकन को परिवर्तित या विरुपित नहीं करेगा या परिवर्तित या विरुपित नहीं कराएगा अथवा परिवर्तित या विरुपित चिह्नांकनों या नकली अथवा भ्रामक चिह्नांकनों के किन्हीं वस्त्रों को अपने कब्जे में या अपने नियंत्रणाधीन नहीं रखेगा ।

(ग) कोई भी व्यक्ति किन्हीं ऐसे वस्त्रों को जिनके ऊपर इस उपखंड के अधीन चिह्नांकन नहीं हैं या नकली या भ्रामक चिह्नांकन लगे हुए हैं, अपने कब्जे में या अपने नियंत्रणाधीन नहीं रखेगा या विक्रय के लिए प्रस्थापित या भंडारित नहीं करेगा ।

(घ) कोई भी व्यक्ति किसी ऐसे अन्य व्यक्ति के जिसने व्यापार और पण्य वस्तु चिह्न अधिनियम, 1958 (1958 का 43) के अधीन उस आशय के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया है या रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त कर लिया है, ब्राण्ड नाम या व्यापार नाम के सदृश्य कोई चिह्नांकन किन्हीं वस्त्रों पर, ऐसे ब्राण्ड या व्यापार नाम के धारक या उसके लिए आवेदक द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकार के अधीन या उस तक सीमित सीमा तक के सिवाय नहीं करेगा ।

(ज) कोई भी व्यक्ति, फेंट्स, रैक या चिन्दियों के रूप में के सिवाय निविदित किसी कपड़े को अपने कब्जे में या अपने नियंत्रणाधीन नहीं रखेगा अथवा विक्रय के लिए प्रस्थापित या भंडारित नहीं करेगा ।

(2) जहां किन्हीं वस्त्रों की बाबत किए जाने वाले चिह्नांकन और चिह्नांकन का समय और रीति इस खंड के अधीन विहित किए गए हैं वहां, यथास्थिति, वस्त्रों का विनिर्माता या आयातकर्ता उन पर विनिर्दिष्ट समय पर और रीति में चिह्नांकन करवाएगा ।

(3) जहां उपखंड (1) के अनुसरण में कपड़े के किसी एक टुकड़े के एक छोर पर चिह्नांकन किया जाना अपेक्षित है वहां उक्त चिह्नांकन वाला भाग कपड़े के उक्त टुकड़े से उस समय तक काटा या पृथक नहीं किया जाएगा जब तक कि उसका अन्य भाग विक्रीत नहीं कर दिया जाता या उसका अन्यथा व्ययन नहीं कर दिया जाता ।

(4) उपखंड (1) के अधीन वस्त्र आयुक्त द्वारा विहित लंबाई, चौड़ाई, काउंट या भार की बाबत प्रत्येक चिह्नांकन व्यापार और पण्य वस्तु चिह्न अधिनियम, 1958 की धारा 95 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए तत्समय प्रवृत्त अनुदेशों में अंतर्विष्ट भिन्नता की सुसंगत मानक सीमाओं के अध्यधीन होगा ।

(5) वस्त्र आयुक्त द्वारा इस खंड के अधीन फाइबर संयोजन, रंगों का पक्कापन, सिकुड़न या काउंट स्ट्रेन्थ प्रोडक्ट (सीएसपी) की बाबत विनिर्दिष्ट प्रत्येक चिह्नांकन समय-समय पर भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अधिकथित भिन्नता की सुसंगत मानक सीमाओं के अध्यधीन होगा ।

(6) वे सभी परीक्षण जो इस आदेश या इस आदेश के अधीन बनाए गए विनियम या जारी की गई अधिसूचनाओं के अनुसरण में किए जाएं, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा विहित मानकों के प्रतिनिर्देश में होंगे ।

10. टैक्सटाइल समिति के प्रयोगशालाओं द्वारा परीक्षण— (1) इस आदेश के उपबंधों को प्रवृत्त करने के प्रयोजन हेतु वस्त्र आयुक्त टैक्सटाइल समिति अधिनियम, 1963 (1963 का 41) के अधीन गठित टैक्सटाइल समिति द्वारा स्थापित किसी प्रयोगशाला के प्रभारी अधिकारी को या वस्त्र आयुक्त के कार्यालय द्वारा चलाए जा रहे बिजली करघा सेवा केन्द्रों की प्रयोगशालाओं के प्रभारी अधिकारी को किन्हीं वस्त्रों से संबंधित ऐसे परीक्षण करने या कराने के लिए, जो वस्त्र आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, निदेश दे सकेगा ।

(2) जहां ऐसा कोई निदेश जारी किया जाता है वहां प्रयोगशाला का प्रभारी अधिकारी इस प्रकार किए गए किन्हीं परीक्षणों की बाबत वस्त्र आयुक्त को अपनी हस्तालिखित रिपोर्ट देगा और ऐसी

किसी रिपोर्ट का उपयोग इस आदेश के उपबंधों में से किसी के उल्लंघन के लिए किसी विचारण में साक्ष्य के रूप में किया जा सकेगा ।

## भाग 5

### अनुपालन सुनिश्चित करना

11. अनुपालन को सुनिश्चित करने की वस्त्र आयुक्त की शक्तियां— (1) वस्त्र आयुक्त, इस आदेश की अनुपालना को सुनिश्चित करने की दृष्टि से,—

(क) किसी भी व्यक्ति से यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह उस व्यक्ति द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले इस आदेश के अधीन आने वाले कारबार की बाबत अपने कब्जे में की ऐसी जानकारी दे ;

(ख) किसी व्यक्ति से लिखित में यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसे वस्त्रों या टैक्सटाइल की वस्तुओं के नमूने दे जिन्हें यह आदेश लागू होता है ;

(ग) इस उपखंड की मद (क) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति से संबंधित या उसके नियंत्रणाधीन किन्हीं बहियों या अन्य दस्तावेजों की जांच कर सकेगा या किसी व्यक्ति से जांच करा सकेगा ;

(घ) किसी परिसर में प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा तथा ऐसी किसी वस्तु को जिसकी बाबत उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस आदेश या इसके अधीन जारी किसी निदेश का उल्लंघन किया गया है, और उक्त परिसर में किसी आधान, पात्र या यान सहित किसी अन्य वस्तु को अभिग्रहीत कर सकेगा जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि उस वस्तु का ऐसे उल्लंघन के संबंध में उपयोग किया गया है या किए जाने का उसका आशय है अथवा सहायक निदेशक से अनिम्न पंक्ति से किसी व्यक्ति को ऐसी परिसर में प्रवेश करने और उसकी तलाशी लेने तथा उपरोक्त वस्तुओं को अभिग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा ।

(2) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जिससे उपखंड (1) के अधीन कोई जानकारी देने की या कोई नमूना देने की अथवा बहियां या अन्य दस्तावेज पेश करने की अपेक्षा की जाती है, ऐसी अपेक्षा का पालन करेगा ।

(3) तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 102 और धारा 103 के उपबंध, यथासाध्य, इस खंड के अधीन तलाशियों और अभिग्रहणों को लागू होंगे ।

## भाग 6

### प्रक्रीण

12. शक्तियों का प्रत्यायोजन— (1) वस्त्र आयुक्त, साधारण या विशेष आदेश द्वारा लिखित में, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी को इस आदेश के अधीन अपने सभी या किन्हीं कृत्यों या शक्तियों का उसकी ओर से प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा ।

(2) राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, लिखित में, राज्य सरकार के किसी अधिकारी को इस आदेश के अधीन अपनी सभी या किन्हीं शक्तियों का उसकी ओर से प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी ।

**13. अपील -** (1) वस्त्र आयुक्त द्वारा या राज्य सरकार द्वारा उसे प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के विरुद्ध अपील व्यक्ति व्यक्ति द्वारा वस्त्र आयुक्त को ऐसे अधिकारी द्वारा पारित आदेश की संसूचना से तीस दिन के भीतर की जाएगी ।

(2) इस आदेश के अधीन किए गए वस्त्र आयुक्त के किसी आदेश से व्यक्ति कोई व्यक्ति केन्द्रीय सरकार को ऐसे आदेश की संसूचना की तारीख से तीस दिन के भीतर अपील कर सकेगा और केन्द्रीय सरकार का उस पर विनिश्चय अंतिम होगा ।

**14. केन्द्रीय सरकार द्वारा आदेश या निदेश-** केन्द्रीय सरकार, इस आदेश के अधीन किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने या किन्हीं कृत्यों का निर्वहन करने वाले वस्त्र आयुक्त या किन्हीं अन्य अधिकारियों को किसी या सभी विषयों पर निदेश देने के लिए सक्षम होगी और संबद्ध अधिकारी केन्द्रीय सरकार के ऐसे आदेशों या निदेशों का पालन करेंगे ।

**15. वस्त्र आयुक्त द्वारा निदेश में शिथिलता-** जहां किसी व्यक्ति, विनिर्माता या विनिर्माताओं के किसी वर्ग या निर्यातकर्ता या निर्यातकर्ताओं के किसी वर्ग या व्यौहारी या व्यौहारियों के किसी वर्ग द्वारा किए गए किसी आवेदन पर या अन्यथा वस्त्र आयुक्त का यह समाधान हो जाता है कि इस आदेश के अधीन उसके द्वारा जारी किसी निदेश से, यथास्थिति, किसी व्यक्ति, विनिर्माता या विनिर्माताओं के किसी वर्ग या निर्यातकर्ता या निर्यातकर्ताओं के किसी वर्ग या व्यौहारी या व्यौहारियों के किसी वर्ग को कोई असम्यक् परेशानी या कठिनाई कारित होती है तो वह आदेश द्वारा और उन कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, यह निदेश दे सकेगा कि ऐसे निदेश, यथास्थिति, ऐसे किसी व्यक्ति, विनिर्माता या विनिर्माताओं के किसी वर्ग या निर्यातकर्ता या निर्यातकर्ताओं के किसी वर्ग या व्यौहारी या व्यौहारियों के किसी वर्ग को लागू नहीं होंगे या इस आदेश में यथाविनिर्दिष्ट उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू होंगे ।

किरन धींगरा, संयुक्त सचिव

**प्रपत्र-1ए**  
**सूचना इापन**  
**(खंड 4 देखिए)**

(कृपया इस प्ररूप को भरने से पूर्व अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें)

1. (क) आवेदक टैक्सटाइल एकक का नाम:  
(स्पष्ट अक्षरों में लिखें )
2. (क) टैक्सटाइल एकक का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पता

I.	प्लाट सं.	
II.	सङ्क/गांव का नाम	
III.	तहसील/ताल्लुक/परिक्षेत्र	
IV.	जिला/नगर/शहर	
V.	राज्य	
VI.	पिन कोड	
VII.	टेलीफोन न.	
VIII.	फैक्स न.	
IX.	टेलेक्स न.	
X.	ई-मेल पता	
XI.	वेबसाइट, यदि कोई हो	

(ख) टैक्सटाइल एकक के कारखाने का पता

I.	प्लाट सं.	
II.	सङ्क/गांव का नाम	
III.	तहसील/ताल्लुक/परिक्षेत्र	
IV.	जिला/नगर/शहर	
V.	राज्य	
VI.	पिन कोड	
VII.	टेलीफोन न.	
VIII.	फैक्स न.	
IX.	टेलेक्स न.	
X.	ई-मेल पता	
XI.	वेबसाइट, यदि कोई हो	

(ग) (i) कृपया उपदर्शित करें कि क्या एकक ऐसे शहर की, जिसकी जनसंख्या 1991 की मतगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक है, परिधि से 25 कि.मी. के भीतर अवस्थित है ।

हाँ

नहीं

(ii) क्या यह 25.7.1991 से पूर्व अभिहित/स्थापित किसी औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक संपदा में अवस्थित है?

हाँ

नहीं

3. एकक की हैसियत

(कृपया समुचित खाने में सही काउंसल लगाएं)

- (क) (1) केन्द्रीय सरकार का उपक्रम
- (2) राज्य सरकार का उपक्रम
- (3) संयुक्त सैक्टर उपक्रम
- (4) सहकारी उपक्रम
- (5) प्राइवेट सैक्टर

पब्लिक  
कंपनी

लि.

प्राइवेटलि. कंपनी

भागीदारी

स्वत्वधारिता

(क) लघु उद्योग

गैर-लघु उद्योग

4. स्वत्वधारी या भागीदारों का नाम या कंपनियों की दशा में निदेशकों का नाम

- (i)
- (ii)
- (iii)

5. क्या सूचना ज्ञापन निम्नलिखित के लिए है ।

(i) नया एकक	हां <input type="checkbox"/>	नहीं <input type="checkbox"/>
(ii) किसी विद्यमान एकक का विस्तार	हां <input type="checkbox"/>	नहीं <input type="checkbox"/>
(iii) किसी विद्यमान एकक में मशीनरी के स्थान पर दूसरी मशीनरी लगाना	हां <input type="checkbox"/>	नहीं <input type="checkbox"/>

6. (क) नए एकक/मशीनरी के प्रतिस्थापन की दशा में,

(i) एसएसआई/ईआईआर/आईएल रजिस्ट्रीकरण/सी ओ बी अनुज्ञाप्ति/ईओयू/एलओपी/एस आई ए अभिस्वीकृति (कृपया उसकी एक प्रति संलग्न करें )

निर्देश संख्या \_\_\_\_\_ जारी किए जाने की तारीख \_\_\_\_\_

(2) एसएसआई/ईआईआर/आईएल/सी ओ बी/ईओयू/एलओपी/एसआईए अभिस्वीकृति के अंतर्गत आने वाली क्षमता:

विनिर्माण की मद	क्षमता की इकाई (ब्यूतित फैब्रिक के लिए वर्ग मीटर, बुने हुए फैब्रिक, आर एम जी/पीसेस में तैयार यस्त्रों के लिए कि.ग्रा./टन)	वार्षिक क्षमता			वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारंभ की तारीख
		अंतर्गत आने वाली	स्थापित	अतिशेष	

(ख) किसी विद्यमान एकक के विस्तार की दशा में :

(i) एसएसआई/ईआईआर/आईएल/सीओबी अनुज्ञाप्ति/ई ओ यू-एल ओ पी/एस आई ए अभिस्वीकृति (कृपया एक प्रतिलिपि संलग्न करें)

निर्देश संख्या \_\_\_\_\_ जारी किए जाने की तारीख \_\_\_\_\_

(ii) एसएसआई/ईआईआर/आईएल/सी ओ बी/ईओयू-एलओबी/एसआईए अभिस्वीकृति के अंतर्गत आने वाली क्षमता:

विनिर्माण की मद	क्षमता की इकाई व्यूतित फैब्रिक के लिए वर्ग मीटर, बुने हुए/फैब्रिक, आर एम जी/टुकड़ों में तैयार वस्त्रों के लिए कि.ग्रा/टन	वार्षिक क्षमता			वाणिज्यिक उत्पादन के प्रारंभ की तारीख
		आच्छादित	स्थापित	अतिशेष	

7. मशीनरी की सूची (कताई, (4) व्यूतन बुनाई, प्रसंस्करण, सिलाई, प्रदूषण नियंत्रण आदि के लिए पृथक समूहों में) (यदि नीचे दिया गया स्थान पर्याप्त न हो तो पृथक शीट संलग्न करें)

	वस्त्र विनिर्माण						
XII.	अव्यूतित वस्त्र विनिर्माण						
XIII.	क्वालिटी नियंत्रण						
XIV.	प्रदूषण नियंत्रण						
XV.	अन्य						

#### 8. प्रदूषण नियंत्रण उपाय (यदि लागू हो) :

कृपया प्रदूषण नियंत्रण के लिए किए गए उपायों, वायु, जल, मृदा प्रदूषण नियंत्रण के लिए केन्द्रीय/राज्य प्रदूषण बोर्ड के मानदंडों के विरुद्ध अपनी उपलब्धियों का ब्यौरा दें। ऐसे मानदंडों के विरुद्ध मानक मानदंडों और अपने परीक्षण के परिणामों का तुलनात्मक कथन और केन्द्रीय/राज्य प्रदूषण नियंत्रण के परिणामों का तुलनात्मक कथन और केन्द्रीय/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति/सहमति की एक प्रति भी संलग्न करें।

9. पूर्ववर्ती दो वित्तीय वर्षों से पूर्व के दौरान अंतिम उत्पादन :

विद्यमान एकक या विस्तारणाधीन एकक की दशा में (व्यूतित फैब्रिक के लिए वर्ग मीटर में) सूत/ बुने हुए फैब्रिक के लिए कि.ग्रा./टन में और आर एम जी/निर्मित वस्त्रों के लिए पीसेस में)

क्र.सं.	क्रियाकलाप	उत्पादन की इकाई	वर्ष	वर्ष	टिप्पणियां
1	2	3	4(क)	4(ख)	5

10. निश्चित आस्तियों (सकल ब्लाक) में विनिधान के ब्यौरे (जो सूचना ज्ञापन फाइल करने की तारीख को हों)(यदि वह विस्तारणाधीन एकक है तो अलग से उसका ब्यौरा दें)

मद	विद्यमान क्षमता के लिए	नहु/विस्तारित क्षमता के लिए	योग (लाख में रकम)
(क) भूमि			
(ख) भवन			
(ग) संयंत्र और मशीनरी			
(इ) देशी			
(ई) आयातित			
(घ) अन्य			
योग			

## 11. वित्तपोषण का पैटर्न :-

(क)

साधारण योग		रकम (लाख में)
(i)	निवासी भारतीय	
(ii)	अनिवासी भारतीय	
(iii)	विदेशी	
(iv)	आंतरिक प्रोटोकल योग	

(ख)

उधार		रकम(लाख में)
(i)	वित्तीय संस्थाओं से	
(ii)	लोक उधार	
(iii)	अन्य स्रोत (विनिर्दिष्ट)	
	योग	

## 12. नियोजन के ब्यौरे (सभी आंकड़े संख्याओं में)

क्रम सं.	प्रवर्ग	पुरुष	स्त्रियां	योग
(1)	पर्यवेक्षणीय			
	(क) तकनीकी			
	(ख) गैर-तकनीकी			
(2)	गैर-पर्यवेक्षणीय योग (क+ख)			
	(क) कुशल			
	(ख) अकुशल			

13. (क) क्या यह विदेशी तकनीकी/वित्तीय सहयोग से है या उसमें आरेखन और डिजाइन का कोई आयात अंतर्वलित है ।

हाँ नहीं 

(ख) यदि हाँ, तो विदेशी सहयोग का संक्षेप में ब्यौरा दें ।

## 14. कोई अन्य सुसंगत सूचना:

## 15. घोषणा:

मैं/ हम यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि यह सूचना ज्ञापन वस्त्र (विकास और विनियमन) आदेश, 2001 के उपबंधों के अनुसार भरा गया है और इस ज्ञापन में दी गई जानकारी मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और इसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।

स्थान:

आवेदक/प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता  
के हस्ताक्षर

तारीख:

नाम:

पदनाम:

फर्म की मुहरटिप्पणी:

- जहां उत्तर के लिए खाने दिए गए हैं, वहां, कृपया समुचित खाने में सही का विहन ( / ) लगाएं । यदि आवेदन कोई अतिरिक्त कथन करना चाहता है तो वह पृथक रूप से किया जाए ।
- जहां भी अपेक्षित जानकारी देने के लिए पर्याप्त स्थान नहीं है तो अलग शीट संलग्न की जा सकती है ।
- निम्नलिखित सक्षेपाक्षरों, जहां भी प्रयुक्त हैं, की उनके सामने वर्णित अभिव्यक्ति होगी,

- (I) एस एस आई - लघु उद्योग ।
- (II) ई आई आर - औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम, 1951 के अधीन वस्त्र आयुक्त द्वारा 25-7-1991 के पूर्व जारी किया गया छूट प्राप्त उद्योग रजिस्ट्रीकरण ।
- (III) आई एल- भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी की गई औद्योगिक अनुज्ञाप्ति ।
- (IV) सी ओ बी - भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी की गई कारबार चलाने की अनुज्ञाप्ति ।
- (V) ई ओ यू -एल ओ पी- भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय/विकास आयुक्त, निर्यात प्रक्रिया जोन/मुक्त व्यापार जोन द्वारा जारी किया गया निर्यातोन्मुख एकक स्थापित करने के लिए अनुज्ञा पत्र ।
- (VI) एस आई ए अनुज्ञापत्र - भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय द्वारा, प्रस्तावित एकक के लिए या वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के लिए, उन्हें सूचना ज्ञापन पेश करने के लिए अभिस्वीकृति ।

- विस्तार करने याले एककों को विद्यमान क्षमता के लिए मद 6(क) और विस्तारण क्षमता के लिए मद 6(ख) भरनी चाहिए ।

5. क्रम संख्यांक 6(क)(ii) 'अंतर्गत आने वाली क्षमता' से ई आर आर/आई एल/सी ओ बी/ई ओ यू-एल ओ पी/ एस आई ए अभिस्वीकृति में वर्णित क्षमता अभिप्रेत है; 'स्थापित क्षमता' से ऐसी क्षमता अभिप्रेत है जिसके लिए इस सूचना ज्ञापन को फाइल करने के समय अंतर्गत आने वाली क्षमता में से मशीनें स्थापित की गई हैं और अतिशेष क्षमता से ऐसी क्षमता अभिप्रेत है जिसके लिए आवृत क्षमता के अनुकूल करने के लिए मशीनें अभी स्थापित की जानी हैं ।

## प्रकृष्ट 1-ख

## सूचना ज्ञापन

(एक स्थान से हटा कर दूसरे स्थान पर लगाई गई, विक्रय की गई, अंतरित की गई या अन्यथा व्ययनित की गई मशीनों के लिए)

1. टैक्सटाइल एकक का नाम  
(स्पष्ट अक्षरों में)
- 2(क) टैक्सटाइल एकक का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता

(i)	प्लाट सं.	
(ii)	सङ्क/गांव का नाम	
(iii)	तहसील/ताल्लुक/परिक्षेत्र	
(iv)	जिला/नगर/शहर	
(v)	राज्य	
(vi)	पिन कोड	
(vii)	टेलीफोन न.	
(viii)	फैक्स न.	
(ix)	टेलेक्स न.	
(x)	ई-मेल पता	
(xi)	वेबसाइट, यदि कोई हो	

(ख) टैक्सटाइल एकक के कारखाने का पता

(i)	प्लाट सं.	
(ii)	सङ्क/गांव का नाम	
(iii)	तहसील/ताल्लुक/परिक्षेत्र	
(iv)	जिला/नगर/शहर	
(v)	राज्य	
(vi)	पिन कोड	
(vii)	टेलीफोन न.	
(viii)	फैक्स न.	
(ix)	टेलेक्स न.	
(x)	ई-मेल पता	
(xi)	वेबसाइट, यदि कोई हो	

3. कृपया उपर्युक्त करें कि क्या टैक्सटाइल एकक निम्नलिखित में से एक हैं (कृपया सुसंगत खाने में (✓) का चिह्न लगाएं)

स्वतंत्रधारी फर्म

भागीदारी फर्म

प्राइवेट लिमिटेड कंपनी

पब्लिक लिमिटेड कंपनी

राज्य/केन्द्र उपक्रम

4. कृपया उपर्युक्त करें कि क्या टैक्सटाइल एकक निम्नलिखित में से है (कृपया सुसंगत खाने में (✓) का चिह्न लगाएं)

लघु उद्योग सैक्टर  (यदि ऐसा है तो लघु उद्योग की रजिस्ट्रीकरण सं.)

गैर-लघु उद्योग सैक्टर  (यदि ऐसा है तो औद्योगिक अनुज्ञाप्ति सं.)

5. एस एस आई/ई आई आर/ आई एल/ सी ओ बी अनुज्ञाप्ति/ ई ओ यू - एल ओ वी/ एस आई ए अभिस्वीकृति ।

(क) संदर्भ सं.----- जारी किए जाने की तारीख -----  
 (ख) जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम:-----

6. मूल सूचना ज्ञापन की अभिस्वीकृति सं. -----

(क) निर्देश सं. ----- जारी किए जाने की तारीख -----

(ख) जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम:-----

7. एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगाई गई/विक्रय की गई/अंतरित की गई या अन्यथा व्ययनित की गई मशीनों का ब्यौरा

(क) एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगाई गई मशीनरी का ब्यौरा

क्र.सं.	मशीन का नाम	मशीनों की सं.	मूल अवस्थान	दूसरे स्थान का पता	दूसरे स्थान पर लगाने का कारण
1	2	3	4	5	6

## (ख) मशीनरी के व्ययन का व्यौरा

क्र.सं.	मशीन का नाम	बेची गयी मशीनों की सं.	अन्यथा व्ययन की गई मशीनों की सं.	व्ययन की गई मशीनों की कुल सं. (3+4+5)	यदि बेची गई हैं/अंतरित की गई हैं तो अंतरिती का नाम और पता	प्रतिस्थापित व्ययन की गई मशीनों की संख्या	
1	2	3	4	5	6	7	8

8. कोई अन्य सुसंगत जानकारी :

9. मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि यह सूचना ज्ञापन वस्त्र (विकास और विनियम) आदेश, 2001 के उपबंधों के अनुसार फाइल किया गया है और इसमें दी गई जानकारी मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और इसमें कुछ छिपाया नहीं गया है ।

स्थान:

तारीख:

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर)

नाम:

पदनाम:

फर्म की मुहर

## MINISTRY OF TEXTILES

## ORDER

New Delhi, the 19th December, 2001

**F. No. 8/3/2001-TPC.**—In exercise of powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) and in supersession of the Textile (Development and Regulation) Order, 1993 except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, hereby makes the following Order, namely :—

P A R T - I

1. **Short title, extent and commencement** – (1) This Order may be called the Textiles (Development and Regulation) Order, 2001.
  - (2) It extends to the whole of India.
  - (3) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions :-**

In this Order, unless the context otherwise requires :-

- (a) "**chindies**" means cut-pieces of cloth having length of 23 centimetres or less;
- (b) "**cloth**" means any fabric made either wholly or equally or predominantly from cotton, wool, silk, jute, manmade fibre or yarn, any other natural fibre or yarn or waste of any of these materials or any combination (blends) thereof, and includes woven, non-woven, knitted and crocheted fabric ;
- (c) "**consumer**" means any person who buys or receives any textiles including through direct or indirect purchases for his own consumption or industrial use and the expression 'consumer' with its grammatical variations and cognate expression shall be construed accordingly ;
- (d) "**fents**" means cut-pieces of cloth having a length of 45 centimetres or more but not exceeding 90 centimetres where the width is one metre or more, or having a length of 65 centimetres or more but not exceeding 135 centimetres where the width is less than one metre ;
- (e) "**fibre**" means and includes natural fibres like cotton, silk, wool, jute and manmade fibres like viscose, polyester, nylon or waste of any of these materials ;
- (f) "**form**" means a form appended to this Order ;
- (g) "**import**" with its grammatical variations and cognate expressions, means bringing into India from a place outside India ;
- (h) "**importer**" means any person who imports or intends to import textile(s) into India and includes a person who causes such import ;
- (i) "**made-ups**" means an article manufactured and/or stitched from any type of cloth, other than a garment ;
- (j) "**a manufacturer**" means a producer or processor of textiles, with or without the aid of power, and includes a person who causes manufacture of textiles and the expression "manufacture", with its grammatical variations and cognate expressions, shall be construed accordingly ;
- (k) "**manufacturer of textile machinery**" means a manufacturer of any textile machinery including its components, spares and accessories ;

(l) "**markings**" means disclosing the essential information about any textile, such as the quality, quantity, composition, dimensions, usage, safety parameters, date of manufacture, identity of manufacturer, by way of stamping, printing, weaving, knitting, display tag attached or pasted, or otherwise ;

(m) "**person**" includes --

- (i) an association of persons or a body of individuals, whether incorporated or not ;
- (ii) a company as defined in the Companies Act, 1956 (1 of 1956) ;
- (iii) a Hindu Undivided Family ;
- (iv) a co-operative society ;
- (v) every artificial juridical person, not falling within any of the preceding items ;

(n) "**processor**" means a person engaged in processing of basic textiles, such as fibre, tops, yarn, cloth, made-ups and garments through ancillary processes, such as texturising, twisting, crimping, winding, singeing, warping, sizing, scouring, mercerizing, bleaching, dyeing, printing, raising, embossing, embroidering, finishing ;

(o) "**tendered cloth**" means a piece of cloth whose cuprammonium fluidity test is 10 Rhes or more and/or tensile strength is less than 50% of that of a standard cloth of the given count-construction ;

(p) "**producer**" means a person who produces or causes to be produced basic textiles, such as fibre, tops, yarn, cloth, made-ups or garments ;

(q) "**textile**" means any textile product and includes any fibre, tops, yarn, cloth, made-ups and garments ;

(r) "**textile machinery**" means any machine which is used for the manufacture of textiles, including a machine required for processing of textiles, and also including its components, spares and accessories ;

(s) "**Textile Commissioner**" means the Textile Commissioner appointed by the Central Government and includes any Additional Textile Commissioner or Joint Textile Commissioner appointed by the Central Government in the Office of the Textile Commissioner;

(t) "**tops**" means an intermediate product of fibre in the form of a sliver used for the manufacture of yarn on the worsted spinning system ;

(u) "**yarn**" means and includes yarn spun out of one or more types of fibres, whether natural or man-made, filament yarn, whether natural or man-made, and metallised yarn, whether natural or man-made ;

(v) words and expressions used but not defined in this Order and defined in the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955) shall have the meanings respectively assigned to them in that Act.

**P A R T - II**  
**FURNISHING OF INFORMATION**

**3. Maintenance of books of accounts, data, record and furnishing of information, thereof** – Every manufacturer of textiles, textile machinery and every person dealing with textiles shall keep books of accounts, data and other records relating to his business in the matter of production, processing, import, export, supply, distribution, sale, consumption, etc. and shall furnish such returns or information in respect of their business as and when directed by the Textile Commissioner.

**4. Installation of textile machinery** — Every person on installation of textile machinery for the manufacture of textiles shall file an Information Memorandum in Form 1-A to the Textile Commissioner, Mumbai, within thirty days of the installation of such machinery:

Provided that in the case of installation of such machinery installed in the small scale sector, a copy of such Information Memorandum shall also be filed to an Officer notified in this behalf by a State Government.

**5. Relocation, sale, transfer or disposal of installed machine** – Every person who relocates, sells, transfers or otherwise disposes of any textile machinery referred to in rule 4, shall file an Information Memorandum in Form 1-B to the Textile Commissioner about such re-location, sale, transfer or disposal, as the case may be, within thirty days from the date of such re-location, sale, transfer or disposal:

Provided that in the case of relocation, sale, transfer or disposal of any such textile machinery in the small scale sector, a copy of such Information Memorandum shall also be filed to an Officer notified in this behalf by a State Government.

**6. Modernisation programme** – Every manufacturer of textiles, having a programme for modernisation of his unit, shall file an Information Memorandum relating to such modernisation programme to the Textile Commissioner in such manner as the Textile Commissioner may specify.

**7. Duty to furnish information** – No person shall, with intent to evade the provisions of this Order, refuse to give any information lawfully required from him under this Order or under any regulation or notification issued under this Order, or conceal, destroy, mutilate or deface any book or other document kept by him in the course of his business.

**P A R T - III****Production and Supply**

**8. Production** – (1) The Textile Commissioner may, from time to time, issue directions, by notification with the prior approval of the Central Government, to any manufacturer or class of manufacturers or manufacturers generally regarding ;

- (a) the class(es) or specification(s) of any textiles which shall or shall not be manufactured ;
- (b) the dyès and chemicals which shall or shall not be used in the manufacture of any textiles ;
- (c) the maximum and the minimum quantity of textiles which shall be manufactured ;
- (d) the maximum ex-factory or wholesale or retail price at which any textiles shall be sold:

Provided that no directions shall be issued under this sub-clause except in the interest of national security or public order and safety or protection of environment and public health, or public interest.

(2) The Textile Commissioner may, from time to time, issue directions, by notification, with the prior approval of the Central Government, to any manufacturer, class of manufacturers or manufacturers generally of yarn regarding the manner of packing of yarn in hanks, cones or in any other form, in such proportions and for such periods of time as may be specified in the direction:

Provided that while issuing any direction under this clause, the Textile Commissioner shall have regard to: -

- (i) the special requirements of any industry for such yarn ; and
- (ii) the capacity of the manufacturer or class of manufacturers or manufacturers generally to manufacture or pack yarn of different descriptions or specifications.

**P A R T - IV****Marking on Textiles**

**9. Marking on textiles** – (1)(a) The Textile Commissioner may specify by notification, with prior approval of the Central Government, the markings to be made on textiles by a manufacturer of such textiles and the time and manner of making such markings:

Provided that in the case of imported textiles, the importer shall cause such markings to be made on the textiles prior to their importation:

Provided further that no person other than as stated above shall cause such markings to be made on any textiles:

Provided also that no person other than a manufacturer shall have in his possession or under his control any textiles, which are not so marked.

(b) No person shall alter or deface or cause to be altered or defaced markings made under item (a) of this sub-clause on any textiles or keep in his possession or under his control any textiles with altered or defaced markings or fake or misleading markings.

(c) No person shall keep in his possession or under his control, or offer or store for sale any textiles, which do not contain the markings under this sub-clause or contain fake or misleading markings.

(d) No person shall make any markings on any textiles resembling the brand name or trade name of any other person who has applied for or obtained a registration to that effect under the Trade and Merchandise Marks Act, 1958 (43 of 1958), except under and limited to the extent of specific authorisation by the holder of or applicant for such brand or trade name.

(e) No person shall keep in his possession or under his control or offer or store for sale any tendered cloth except in the form of fents, rags or chindies.

(2) Where the markings to be made and the time and manner of markings in respect of any textiles have been prescribed under this clause, the manufacturer or importer of textiles, as the case may be, shall cause the markings to be made thereon at the time and in the manner specified.

(3) Where in pursuance of sub-clause (1), markings are required to be made at one end of any piece of cloth, the portion containing the said markings shall not be cut or separated from the said piece of cloth at any time till the other portion of that piece is sold or otherwise disposed of.

(4) Every marking prescribed by the Textile Commissioner under sub-clause (1) with respect to length, width, count, or weight shall be subject to the relevant standard limits of variations contained in the instructions, for the time being in force, issued by the Central Government under Section 95 of the Trade and Merchandise Marks Act, 1958.

(5) Every marking specified by the Textile Commissioner under this clause with respect to fibre composition, colour fastness, shrinkage, or count strength product (C.S.P.) shall be subject to the relevant standard limits of variation laid down by the Bureau of Indian Standards from time to time.

(6) All tests that may be carried out in pursuance of this Order or regulation or notification(s) issued under this Order shall be with reference to the standards prescribed by the Bureau of Indian Standards.

**10. Testing by the laboratories of the Textiles Committee** – (1) For the purpose of enforcing the provisions of this Order, the Textile Commissioner may direct the Officer-in-Charge of any of the laboratories established by the Textiles Committee constituted under the Textile Committee Act, 1963 (41 of 1963), or of the laboratories of the Powerloom Service Centres run by the office of the Textile Commissioner, to carry out or cause to be carried out such tests relating to any textiles as may be specified by the Textile Commissioner.

(2) Where any such direction is issued, the Officer-in-Charge of the laboratory shall make a report under his hand to the Textile Commissioner in respect of any tests so carried out and any such report may be used as evidence in any trial for contravention of any of the provisions of this Order.

#### PART – V

##### Securing Compliance

**11. Powers of Textile Commissioner to secure compliance** – (1) The Textile Commissioner may, with a view to securing compliance with this Order: –

- (a) require any person to give such information in his possession with respect to his business covered by this Order carried on by that or any other person ;
- (b) require any person, in writing, to furnish samples of any textiles or textile articles to which this Order applies ;
- (c) inspect or cause to be inspected by any person, any books or other documents belonging to or under the control of any person referred to in item(a) of this sub-clause ;
- (d) enter and search or authorise in writing any person not below the rank of an Assistant Director to enter and search any premises and seize any article in respect of which he has reasons to believe that a contravention of this Order or any directions issued under this Order has been committed and any other article including a container, receptacle or vehicle in the premises which he has reasons to believe has been or is intended to be used in connection with such contravention.

(2) Every person who is required to give any information or furnish samples or produce any books or other documents under sub-clause (1), shall comply with such requisition.

(3) The provisions of sections 102 and 103 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) relating to search and seizure shall, so far as may be applicable, apply to searches and seizures under this clause.

**PART-VI****Miscellaneous**

**12. Delegation of powers** (1) The Textile Commissioner may, by a general or special order, in writing, authorise any officer of the Central Government or of a State Government to exercise on his behalf all or any of his functions and powers under this Order;

(2) The State Government may, by general or special order, in writing, authorise any officer of the State Government to exercise on its behalf all or any of its powers under this Order.

**13. Appeals** - (1) An appeal against any order passed by any officer, authorised to exercise powers delegated to him either by the Textile Commissioner or by a State Government, shall be preferred to the Textile Commissioner by an aggrieved person within thirty days of the communication of the order passed by such officer.

(2) Any person aggrieved by an order of the Textile Commissioner made under this Order, may prefer an appeal to the Central Government within thirty days of the date of communication of such order, and the decision of the Central Government thereon shall be final.

**14. Order or directions by the Central Government** - It shall be competent for the Central Government to issue any orders or directions to the Textile Commissioner or any of the officers exercising any of the powers or performing any of the functions under this Order, on any or all matters, and the respective officers shall comply with such orders or directions of the Central Government.

**15. Relaxation of direction by the Textile Commissioner** - Where, on an application made by any person, manufacturer or class of manufacturers or importer or class of importers or dealer or class of dealers or otherwise, the Textile Commissioner is satisfied that any direction issued by him under this Order causes undue hardship or difficulty to any person, manufacturer, importer or dealer or class of manufacturers, importers, or dealers, as the case may be, he may, by order and for reasons to be recorded in writing, direct that the directions shall not apply or shall apply to such person, manufacturer, importer or dealer or class of manufacturers, importers or dealers as the case may be, subject to such modifications as may be specified in the order.

KIRAN DHINGRA Jt Secy

38426712001-6

**FORM - 1A**  
**INFORMATION MEMORANDUM**  
**[ See clause 4 ]**

(Please read instructions carefully before filling up this form)

1. (a) NAME OF THE APPLICANT  
 TEXTILE UNIT.  
 (IN BLOCK CAPITAL LETTERS)

--

2 (a) REGISTERED/OFFICE ADDRESS  
 OF THE TEXTILE UNIT

(i)	Plot No.	
(ii)	Name of the Road/Village	
(iii)	Tehsil/ Taluk/ Locality	
(iv)	District/Town/City	
(v)	State	
(vi)	Pin Code	
(vii)	Telephone No.	
(viii)	Fax No.	
(ix)	Telex No.	
(x)	E-mail address	
(xi)	Website, if any	

(b) FACTORY ADDRESS OF THE  
 TEXTILE UNIT

(i)	Plot No.	
(ii)	Name of the Road/Village	
(iii)	Tehsil/Taluk/ Locality	
(iv)	District/Town/City	
(v)	State	
(vi)	Pin Code	
(vii)	Telephone No.	
(viii)	Fax No.	
(ix)	Telex No.	
(x)	E-mail address	
(xi)	Website, if any	

(c) i) Indicate whether the unit is located within 25 kms from the periphery of a city  
 having population above one million according to 1991 census

Yes  No

ii) Is it located in an Industrial area/Industrial estate designated /set up prior to 25.7.1991 ?

Yes  No

3. STATUS OF THE UNIT  
(Please tick mark the appropriate box)

(a) (i)	Central Govt. undertaking	<input type="checkbox"/>		
(ii)	State Govt. undertaking	<input type="checkbox"/>		
(iii)	Joint Sector undertaking	<input type="checkbox"/>		
(iv)	Co-op. undertaking	<input type="checkbox"/>		
(v)	Private Sector:			
	Public Ltd. Co.	Private Ltd. Co.	Partnership	Proprietorship
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(a)	S.S.I. <input type="checkbox"/>	NON-S.S.I. <input type="checkbox"/>		

4. NAME OF THE PROPRIETOR OR PARTNERS OR IN THE CASE OF COMPANIES, THE NAMES OF THE DIRECTORS, .

i)  
ii)  
iii)

5. WHETHER THE INFORMATION MEMORANDUM IS FOR:

i) New Unit :	Yes <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
ii) Expansion of an existing unit :	Yes <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
iii) Replacement of machinery in an existing unit.	Yes <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>

## 6. (a) IN CASE OF A NEW UNIT/ REPLACEMENT OF MACHINERY:

(i) Registration of SSI / EIR / IL / COB licence/ EOU / LOP / SIA Acknowledgement (Please enclose a copy)

Ref. No. \_\_\_\_\_ Date of issue \_\_\_\_\_

(ii) Capacity covered under SSI / EIR / IL / COB / EOU-LOP / SIA Acknowledgement:

Item of manufacture	Unit of capacity (Sq. mtrs. for woven fabrics, kgs./tons for yarn/ knitted fabrics, RMG/ made-up in pieces)	ANNUAL CAPACITY			Date of commencement of commercial production
		Covered	Installed	Balance	

## 6. (b) IN CASE OF EXPANSION OF AN EXISTING UNIT:

(i) SSI / EIR / IL / COB Licence / EOU-LOP / SIA Acknowledgement  
(Please enclose a copy)

Reference No. \_\_\_\_\_ Date of issue \_\_\_\_\_

(i) Capacity covered under SSI / EIR/ IL / COB/ EOU-LOP / SIA Acknowledgement:

Item of manufacture	Unit of capacity (Sq. mtrs. for woven fabrics, kgs./tons for yarn/ knitted fabrics, RMG/ made-up in pieces)	ANNUAL CAPACITY			Date of commencement of commercial production
		Covered	Installed	Balance	

## 7. LIST OF MACHINERY (IN SEPARATE GROUPS FOR SPINNING, WEAVING, KNITTING, PROCESSING, FINISHING, STITCHING, POLLUTION CONTROL, ETC.) [if space below is not adequate, attach separate sheet]

Sr. No.	Activity Group	Name of the machine	NUMBER OF MACHINES					Total cost (Rs.)	DETAILS OF THE MANUFACTURER	
			New	2 <sup>nd</sup> hand	Imported	Indigenous	Total [4 (a+b)] [5 (a+b)]		Name	No. of machines
1.	2.	3.	4(a)	4(b)	5(a)	5(b)	5(c)	6	7(a)	7(b)
I.	Fibre Mfg.									
II.	Filament mfg.									
III	Texturing/ twisting/ winding									
IV.	Tops making (wool)									
V.	Spinning									
VI.	Weaving									
VII.	Knitting									
VIII.	Chemical Processing									
IX.	Finishing									
X.	Garment manufacturing									
XI.	Made-up manufacturing									
XII.	Non-woven manufacturing									
XIII.	Quality control									
XIV.	Pollution Control									
XV	Others									

**8. POLLUTION CONTROL MEASURES (IF APPLICABLE) :**

Please give details of pollution control measures undertaken, your achievements against Central/State Pollution Control Board norms for air, water and soil pollution control. Enclose a comparative statement of standard norms and your test results against such norms and also a copy of the NOC/consent from Central/State Pollution Control Board.

**9. FINAL PRODUCTION DURING THE PRECEDING TWO FINANCIAL YEARS:**

In case of existing unit or unit under expansion (in sq. mtrs. for woven fabrics, kgs/tons for yarn/ knitted fabrics and pieces for RMG/made-up)

Sr. No.	Activity	Unit of production	Final Production during the		Remarks
			Year	Year	
1.	2.	3.	4(a)	4(b)	5.

**10. DETAILS OF INVESTMENT IN FIXED ASSETS (GROSS BLOCK) – (as on the date of filing of Information Memorandum) [If it is an unit under expansion, give details thereof separately]**

(Amount in Rs.  
Lakh)

Item	For existing capacity	For new/expanded capacity	Total
a) Land			
b) Building			
c) Plant and machinery			
i) Indigenous			
ii) Imported			
d) Others			
<b>Total</b>			

## 11. FINANCING PATTERN :-

(a) <b>Equity</b>	(Amount in Rs. Lakh)
(I) Resident Indian	
(II) Non-resident Indian	
(III) Foreign	
(IV) Internal accruals	
<b>Total</b>	

(b) <b>Borrowing</b>	(Amount in Rs. Lakh)
(I) Financial Institutions	
(II) Public borrowings	
(III) Other sources (specify)	
<b>Total</b>	

## 12. DETAILS OF EMPLOYMENT (ALL FIGURES IN NUMBERS)

Sr. No.	Category	Men	Women	Total
I)	Supervisory			
	a) Technical			
	b) Non-Technical			
II)	Non-supervisory Total (a+b)			
	a) Skilled			
	b) Unskilled			

13. (a) WHETHER IT IS IN FOREIGN TECHNICAL/FINANCIAL COLLABORATION, OR ANY IMPORT OF DRAWINGS AND DESIGNS IS INVOLVED.

Yes

No

(b) If yes, give details of foreign collaboration in brief.

14. ANY OTHER RELEVANT INFORMATION :

15. DECLARATION:

I/We hereby declare that this Information Memorandum is filled in accordance with the provisions of the Textiles (Development & Regulation) Order, 2001 and the information given in this memorandum are true to the best of my/our knowledge and belief and nothing has been concealed therein.

Signature of the applicant/  
Authorised Signatory

Place:  
Date :

Name :  
Designation:

Seal of the firm

**Note:**

1. Where boxes are provided for answer, please tick mark (✓) against the appropriate box. If the applicant wishes to state anything extra, it may be mentioned separately.
2. Wherever space is not sufficient to give required information, separate sheet may be attached.
3. Following abbreviations, as and where appearing, shall have the expression mentioned against them:
  - (i) SSI – Small Scale Industry.
  - (ii) EIR – Exempted Industries Registration issued by the Textile Commissioner before 25.7.1991, under Industrial Development & Regulation Act, 1951.
  - (iii) IL – Industrial Licence issued by the Ministry of Industry, Government of India.
  - (iv) COB – Carry on Business licence issued by the Ministry of Industry, Government of India.
  - (v) EOU-LOP – Letter of Permission for Setting up an Export Oriented Unit, issued by Ministry of Industry, Govt. of India/ Development Commissioner, Export Processing Zone/ Free Trade Zone.
  - (vi) SIA acknowledgement: The acknowledgement issued by the Secretariat for Industrial Approvals, Ministry of Commerce and Industry, Government of India for submission of Information Memorandum to them, for a proposed unit or for commencement of commercial production.
4. Units undertaking expansion should fill-up item 6(a) for existing capacity and 6(b) for expansion capacity.
5. Serial number 6(a)(ii), 'capacity covered' means, the capacity mentioned in EIR/IL/COB/EOU LOP/SIA acknowledgement; 'capacity installed' means, the capacity for which machines are installed, out of the capacity covered, at the time of filing of this Information Memorandum, and the balance capacity means the capacity for which the machines are yet to be installed to match the covered capacity.

**FORM 1-B**

**INFORMATION MEMORANDUM**

[ for machines relocated, sold, transferred or disposed of [See clause 5] ]

1. NAME OF THE TEXTILE UNIT  
(In block capital letters)

--

2. (a) REGISTERED/OFFICE ADDRESS OF THE TEXTILE UNIT

(i)	Plot No.	
(ii)	Name of the Road/Village	
(iii)	Tehsil/Taluk/ Locality	
(iv)	District/Town/City	
(v)	State	
(vi)	Pin Code	
(vii)	Telephone No.	
(viii)	Fax No.	
(ix)	Telex No.	
(x)	E-mail address	
(xi)	Website, if any	

(b) FACTORY ADDRESS OF THE TEXTILE UNIT

(i)	Plot No.	
(ii)	Name of the Road/Village	
(iii)	Tehsil/Taluk/ Locality	
(iv)	District/Town/City	
(v)	State	
(vi)	Pin Code	
(vii)	Telephone No.	
(viii)	Fax No.	
(ix)	Telex No.	
(x)	E-mail address	
(xi)	Website, if any	

3. PLEASE INDICATE WHETHER THE TEXTILE UNIT IS A (Please  the relevant box)

Proprietary firm

Partnership firm

Private Ltd. Co.

Public Ltd. Co.

State/Central enterprise

4. PLEASE INDICATE WHETHER THE TEXTILE UNIT IS IN (Please  the relevant box)

**SSI Sector**  [if so, SSI registration no.]

Non-SSI Sector  [if so, Industrial Licence no.]

**5. Registration of SSI/ EIR/ IL/ COB Licence/ EOU-LOP/ SIA Acknowledgement:**

**Reference No.** \_\_\_\_\_ **Date of Issue** \_\_\_\_\_

6. ACKNOWLEDGEMENT NUMBER OF THE ORIGINAL INFORMATION MEMORANDUM:

a) **Reference No.** \_\_\_\_\_ **Date of Issue** \_\_\_\_\_

b) Name of the issuing authority:

7. DETAILS OF MACHINES RELOCATED, SOLD, TRANSFERRED OR OTHERWISE DISPOSED OF:

**(a) Details of Relocation of machinery:**

**(b) Details of disposal of machinery:**

**8. ANY OTHER RELEVANT INFORMATION:**

9. I/We hereby declare that this Information Memorandum is filed in accordance with the provisions of the Textiles (Development and Regulation) Order, 2001 and the information given in this Memorandum is true to the best of my/our knowledge and belief and nothing has been concealed therein.

Place:

(Signature of the Authorized Signatory)

Date:

Name :

Designation:

Seal of the firm